न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 18/2014
प्रविष्टि दिनांकः— 12—05—2014

1—श्योजी पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छानबाससूर्या तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान।

.... अपीलाण्ट

बनाम

1—लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी छानबाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
2—गुलाब पुत्री कल्याण जाति बैरवा निवासी छानबाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
3—मन्नी बेवा कल्याण जाति बैरवा निवासी छानबाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

.... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा0टि0 एक्ट 1955 विरूद्व निर्णय तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 10.04.2014

उपस्थितः (1)श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री विनोद सेन अभिभाषक रेस्पो0 स0 1ता 3

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

निर्णय

दिनांक 19—05—2017

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा दि0 10.04.2014 को अपीलाण्ट को आराजी खसरा नम्बर 821 रकबा 1.92 हे0, खसरा नम्बर 821/1761 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.93 हे0 वाके ग्राम छाणबाससूर्या तहसील टोडारायसिंह पर अतिक्रमण मानकर बेदखल करने, पेनेल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरित बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी जरिये सम्मन रेस्पोडेण्ट्स की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलाण्ट एवं अभि0 रेस्पोडेण्ट्स सुनी गई।

3. अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेण्ट्स ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है तथा स्वयं ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य के माध्यम से दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया है और ना ही स्वयं की साक्ष्य करवायी है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण रेस्पोडेण्ट्स के प्रार्थना पत्र को मेरिट पर निर्णीत करने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

... दर्ज किया जाय।

के बजाय सीपीसी के प्रावधानो के अनुरूप साक्ष्य के अभाव में निरस्त करना चाहिये था। रेस्पो0 प्रार्थीगण ने अपीलाण्ट अप्रार्थीगण से वर्ष 2000 में नकद रूप्ये उधार लिये थे और अपनी भूमि अपीलाण्ट के पक्ष में रहन रखी थी, उधार ली गई राशि चुकाने पर जमीन वापिस लेने के संबंध में स्टाम्प भी निष्पादित किया था तब से लेकर लगातार अपीलाण्ट का उक्त विवादित भूमियों पर कब्जा, काश्त चला आ रहा है, जो रेस्पो0 की सहमति से चला आ रहा है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्टस की भूमि पर कब्जा नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर उक्त वास्तविक स्थिति को मय दस्तावेजात साबित किया था, जवाब व उसके समर्थन में पेश किये गये दस्तावेजात पर कोई गोर नहीं किया, रेस्पो0 प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व पटवारी हल्का के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर दी गई रिपोर्ट को आधार मानते हुए उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10.04.2014 की मियाद 30 दिन की है, अपील अन्दर मियाद है। उक्त सभी तथ्यों से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय निरस्त योग्य है।

4. रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उपरोक्त आराजियात से अपीलाण्ट को किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं है, वे स्वर्ण जाति के व्यक्ति है जो जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर रेस्पो0 के अनुसूचित जाति के होने, कमजोर व शांति प्रिय होने का अनुचित फायदा उठाते हुए हमारी भूमि पर कब्जा करना चाहते है, भूमि खसरा नंबर 821 रकबा 1.92 है0 किस्म बारानी III, ख0नं0 821/1761 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 चाह के रेस्पोडेण्ट्स खातेदार मुताबिक राजस्व रेकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि को विगत 10 साल पूर्व अपीलाण्ट को काश्त हेतु बता दी थी जिस पर वे आधोली पर काश्त करते रहे, एक साल पूर्व अपीलाण्ट की आधोली समाप्त कर दी थी किन्तु उन्होनें कब्जा छोडने से स्पष्ट मना कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त ख0नं0 में अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करने पर तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपीलाण्ट को बेदखल कर शास्ति कायम की गई है। रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा अपीलाण्ट अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य है। पटवारी हल्का की रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट अनुसार भी उक्त ख0नं0 पर अपीलाण्ट का अवैधानिक रूप से कब्जा होना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता संख्या 324 में दर्ज ख0नं0 821 रकबा 1.92 है0, ख0नं0 821/1761 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.93 है0 में से मुताबिक रिकार्ड रेस्पोडेण्ट्स 1ता3, की खातेदारी आराजी ख0नं0 821/1761 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह है। रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी ख0नं0 821 रकबा 1.92 है0 में से रकबा 1.38 है0 पर अपीलाण्ट श्योजी पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छाणबाससूर्या द्वारा जौ व सरसो की फसल काश्त किया जाना रिपोर्ट पटवारी हल्का जैकमाबाद से जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। अपीलाण्ट अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य है तथा रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। अपीलाण्ट द्वारा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अपने अपीलाण्ट्स राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अपीलाण्ट्स द्वारा विवादित भूमि पर अपने कब्जे के बारे में कोई दस्तावेजात भी पेश नहीं किये है जिससे अपील मेमों में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 10.04.2014 यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 19.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

क्रम से दर्ज किया जाय।